भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2397
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

वैदिक ज्योतिष में अध्ययन और अनुसंधान

†2397. **श्री परषोत्तमभाई रुपालाः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा वैदिक ज्योतिष में वास्तविक अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा खगोल विज्ञान के लिए एक स्थायी सलाहकार बोर्ड की स्थापना करने हेतु की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा तेजी से बढ़ते ज्योतिष क्षेत्र की निगरानी करने तथा बेईमान ज्योतिषियों, विशेषकर ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श प्रदान करने वाले ज्योतिषियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संबंधित हितधारकों के सहयोग से की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारत के संविधान के अनुसार, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को शैक्षिक विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।

भारत सरकार शैक्षणिक, अनुसंधान और संस्थागत उपायों के माध्यम से वैदिक विज्ञानों सहित भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के अनुसंधान और अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ज्योतिष और वैदिक गणित सहित भारतीय विरासत और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रमों की शुरूआत के लिए दिशानिर्देश तैयार किए

हैं और सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं (एचईआई) से अनुरोध किया है कि वे दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक उपाय करें।

शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2030 तक अगले पांच वर्षों के लिए 405.78 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'भारतीय ज्ञान परंपरा (आईकेएस)' को अनुमोदित किया है। आईकेएस योजना के तहत, विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और ड्रिक ज्योतिष तथा सिद्धान्त ज्योतिष में इंटर्नशिप के लिए पंचांग गणना और कैलेंडर प्रणालियों में सुधार के लिए सहायता दी गई है।

भारत सरकार ने वर्ष 2024-31 की अवधि के लिए भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, प्रलेखित और प्रसारित करने के उद्देश्य से 482.85 करोड़ रुपये का कुल आवंटन और 44.07 लाख से अधिक पांडुलिपियां पहले से ही कृति सम्पदा डिजिटल रिपोजिट्री में प्रलेखन के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना 'ज्ञान भारतम मिशन' को अनुमोदित किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एआरआईईएस) सहित अपने सहायित संस्थानों के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में मध्यस्थ मंचों को यह दायित्व दिया गया है कि वे ऐसी किसी भी निषिद्ध सूचना को रखने, साझा करने, अपलोड करने, प्रसारण करने आदि की अनुमति न दें, जिसमें भारत के इंटरनेट पर गलत सूचना और स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने वाली सूचना शामिल है।

*****